क्रम संख्या—36 पंजीकरण संख्या—UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 03 अप्रैल, 2023 ई0

चैत्र 13, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 130/XXXVI(3)/2023/65(1)/2022

देहरादून, 03 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम, अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2022' पर दिनांक 31 मार्च, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह **उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 04 वर्ष, 2023** के रूप में सर्व—साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2023)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम,1959) (संशोधन) अधिनियम, 2022 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
धारा 142 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 142 में:- (क) उपधारा (1) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:- (1) शहरी स्थानीय निकाय प्रोद्भवन आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली के माध्यम से खाते जिसमें वित्तीय विवरण जैसे- तुलन-पत्र, आय एवं व्यय विवरण; नकदी प्रवाह विवरण और प्राप्ति एवं भुगतान खाता सम्मिलित है, को प्रत्येक तिमाही के अन्त में ऐसे प्रपत्र में एवं ऐसी रीति, जैसा विहित किया जाये, में तैयार करेगा तथा उसका अनुरक्षण करेगा। (ख) उपधारा (2) में "व्यय" शब्द के स्थान पर " भुगतान" शब्द रखा जायेगा। (ग) उपधारा (3) के पश्चात उपधारा (4) निम्नवत् अंतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात- "(4) राज्य सरकार निगम निधि के अन्तर्गत वार्षिक खातों की सम्परीक्षा कराये जाने हेतु निर्धारित प्रकिया से सम्परीक्षक की नियुक्ति करेगी।"

धारा 145 का संशोधन	3.	मूल अधिनियम की धारा 145 में– (क) उपधारा (1) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:– (1) नगर आयुक्त प्रतिवर्ष पहली अप्रैल के बाद यथाशक्य शीघ्र पूर्वगामी, वित्तीय वर्ष (Financial year) में नगर के निगम प्रशासन का एक विस्तृत प्रतिवेदन (report) और साथ ही तुलनपत्र, आय एवं व्यय खाता और प्राप्तियां एवं भुगतान खाता को तैयार करेगा और उसे कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखेगा। (ख) उपधारा (3) के पश्चात् उपधारा (4) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्– "(4) राज्य सरकार नगर निकायों के वित्तीय प्रकरणों और इससे सम्बन्धित समस्त प्रक्रियाओं के निर्धारण हेतु एक मैनुअल, जिसे उत्तराखण्ड म्यूनिसिपल एकाउण्ट मैनुअल कहा जायेगा, को निर्धारित, अद्यतन एवं बनाये रखेगी।"
धारा 146 का संशोधन	4.	मूल अधिनियम की धारा 146 की उपधारा(1) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:– (1) नगर आयुक्त ऋणी (indebted) निगमों की दशा में प्रतिवर्ष 10 दिसम्बर को या उसके पूर्व तथा अन्य निगमों की दशा में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को या उसके पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए निगमों का वार्षिक बजट तैयार करेगा तथा उसे (बजट को) कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें विभिन्न प्राप्तियां एवं भुगतान शीर्षक में प्रारम्भिक एवं अन्तिम अवशेष के अन्तर्गत अनुमानित आय, व्यय, आधिक्य/घाटे को चार व्यापक शीर्षक यथा राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्ति एवं पूंजीगत व्यय को ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति से स्पष्टतः प्रदर्शित किया जायेगा, जैसा विहित किया जाये, जो कार्यकारिणी समिति आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अनुमोदित कर सकती है।
नई धारा 573 क का अंतःस्थापन सूचना का लोक प्रकटीकरण	5.	मूल अधिनियम की धारा 573 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:– "573–क.(1) नगर निगम त्रैमासिक अन्तरालों पर नीचे उल्लिखित अपेक्षित सूचना को प्रकट करने हेतु अपने अभिलेखों को अनुरक्षित रखेगी और प्रकाशित करेगा;

(क) निगम या उसकी समितियों की कार्यवाहियाँ या कार्यवाहियों का सार;

(ख) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;

(ग) ऐसे अधिकारियों की विशिष्टियॉ जो निगम के विभिन्न विभागों में रियायत, अनुज्ञा (परमिट), अनुज्ञप्ति (लाईसेंस) प्रदान करते हैं, या नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराते हैं;

(घ) तुलनपत्र, प्राप्तियों एवं व्ययों और वार्षिक बजट आदि का संपरीक्षित वित्तीय विवरण;

(ङ) निगम द्वारा प्रदान की जा रही प्रत्येक सेवा के लिए उपबन्धित किये गये सेवा स्तर;

(च) समस्त योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय, प्रदान की गयी प्रमुख सेवाओं और उसके द्वारा निष्पादित क्रियाकलापों पर वास्तविक व्यय तथा किये गये व्यय का संवितरण पर आख्या;

(छ) निगम द्वारा प्रदान की गयी प्रमुख सेवाओं और उसके द्वारा निष्पादित क्रियाकलापों पर सहायिकी (Subsidy) कार्यक्रमों और ऐसे कार्यक्रमों हेतु हिताधिकारियों की पहचान की रीति एवं मानदण्डों का विवरण;

(ज) निगम द्वारा किये गये कार्यक्रमों का विवरण;

(झ) निगम के विकास से सम्बन्धित नगर विकास योजनाओं पर विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का विवरण;

(ञ) मुख्य निर्माण कार्य, निर्माण कार्य का मूल्य, समापन का समय का विवरण और संविदा का ब्यौरा;

(ट) निगम निधियों का विवरणः–

(i)कर एवं करेत्तर शीर्षकों के अधीन पूर्व वर्ष में जनित एवं वसूल की गयी आय;

(ii) कर, शुल्क, सेस और अधिभार, किराया, सम्पत्ति से शुल्क, परमिट और लाईसेंस तथा प्रयोक्ता प्रभार;

(iii) उपर्युक्त (ii) के सापेक्ष धनराशि, जो असंगृहीत हो;

(iv) विभिन्न प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार से अनुदान, ऋण या निधियों का न्यागमन और उपभोग की स्थिति;

		(ठ) ऐसी अन्य सूचना जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय; (2) प्रकटीकरण की रीति में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं; (क) समाचारपत्र; (ख) इन्टरनेट; (ग) निगम का सूचनापट्ट; (घ) आंचलिक कार्यालय; (ङ) किसी बुलेटिन का जारी किया जाना; (च) गजट में अधिसूचना, (छ) ऐसी कोई अन्य रीति, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय।"

आज्ञा से,
शमशेर अली,
अपर सचिव।

उद्देश्य और कारण

भारत सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के लेखों में एकरूपता लाये जाने हेतु एकाउण्टिंग मैनुअल प्रख्यापित किया गया है, तद्नुसार राज्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत राज्य द्वारा अपना एकाउण्टिंग मैनुअल तैयार किया जाना है। उक्त एकाउण्टिंग मैनुअल को राज्य के नगर निगमों में लागू किये जाने हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में कतिपय धाराओं का संशोधन/अन्तःस्थापन किया जाना अपरिहार्य है।

2– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

प्रेम चन्द अग्रवाल
मंत्री